अध्यादेश का सारांश

वस्तु एवं सेवा कर (राज्यों को मुआवजा) संशोधन अध्यादेश, 2017

- वस्तु एवं सेवा कर (राज्यों को मुआवजा) संशोधन अध्यादेश, 2017 को 2 सितंबर, 2017 को जारी किया गया। यह वस्तु एवं सेवा कर (राज्यों को मुआवजा) एक्ट, 2017 में संशोधन करता है। एक्ट केंद्र सरकार को कुछ वस्तुओं, जैसे पान मसाला, कोयला, एरेटेड ड्रिंक्स और तंबाकू पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) मुआवजा सेस की दर अधिसूचित करने की अनुमति देता है, जिसकी एक अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है। जीएसटी के लागू होने के बाद राज्यों को राजस्व का जो नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई सेस की इस राशि से की जाती है।
- **जीएसटी मुआवजा सेस की अधिकतम दर में वृद्धि :** अध्यादेश 2017 के एक्ट में संशोधन करता है ताकि कारों पर जीएसटी मुआवजा सेस की दर 15% से बढ़ाकर 25% की जा सके।

अस्वीकरणः प्रस्तुत रिपोर्ट आपके समक्ष सूचना प्रदान करने के लिए प्रस्तुत की गई है। पीआरएस लेजिसलेटिव रिसर्च (पीआरएस) की स्वीकृति के साथ इस रिपोर्ट का पूर्ण रूपेण या आंशिक रूप से गैर व्यावसायिक उद्देश्य के लिए पुनःप्रयोग या पुनर्वितरण किया जा सकता है। रिपोर्ट में प्रस्तुत विचार के लिए अंततः लेखक या लेखिका उत्तरदायी हैं। यद्यपि पीआरएस विश्वसनीय और व्यापक सूचना का प्रयोग करने का हर संभव प्रयास करता है किंतु पीआरएस दावा नहीं करता कि प्रस्तुत रिपोर्ट की सामग्री सही या पूर्ण है। पीआरएस एक स्वतंत्र, अलाभकारी समूह है। रिपोर्ट को इसे प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के उद्देश्यों अथवा विचारों से निरपेक्ष होकर तैयार किया गया है। यह सारांश मूल रूप से अंग्रेजी में तैयार किया गया था। हिंदी रूपांतरण में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता की स्थिति में अंग्रेजी के मूल सारांश से इसकी पुष्टि की जा सकती है।

वत्सल खुल्लर
vatsal@prsindia.org

28 सितंबर, 2017